राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	श्यामा देवी बनाम सतोष देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पत्रावली पर सुनी गयी	अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 20/04/2026 को पेश हो	 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
20/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/05/2025 पारित करते हुये प्रकरण में कोई अर्जेंसी प्रतीत नही होना धारित करते हुये अन्तरिम आदेश नही पारित किया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व वाद के अदम पैरवी व अदम हाजरी में ख़ारिज हो जाने के कारण प्रश्नाधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अन्तरिम व्यादेश जारी किया उचित नही होना धारित किया गया है, जबकी CCC 2017(3) पृष्ठ संख्या 144, CCC 2016 (1) पृष्ठ संख्या 108, 2017 (4) CCC पृष्ठ संख्या 469 एवं 2016(2) RRT 1387 के द्वारा माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि "वाद विभाजन हेतु था और व्यक्तिक्रम में ख़ारिज हुआ – गुणावगुण पर वाद निर्णित नही हुआ- नया वाद वर्जित नही है"	इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि पूर्व विभाजन का वाद गुणावगुण पर निर्णित नही हुआ है तो नया वाद वर्जित नही है एवं ऐसेमें पूर्व विभाजन के वाद में अदम पैरवी व अदम हाजरी में ख़ारिज हो जाने का प्रभाव नवीन वाद एवं उसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश पारित करते धारित किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है इसके अतिरिक्त यदि विधिवत विभाजन से पूर्व प्रशनगत भूमि के मौके व कृषि स्वरूप में तथा रिकार्ड में परिवर्तन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्यामा देवी बनाम सतोष देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	760/2025	

होता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर पेचीदगीयां उत्पन्न हो सकती है तथा विधिवत होने वाला विभाजन प्रभावित हो सकता है, जिसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक समझा जाता है | ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर उद्धरित तथ्यों से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रथमदृष्टया अपीलार्थी के पक्ष में ाहिर होते है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/05/2025 ख़ारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेस पुन: पारित करे | तब तक न्यायहित में विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 20/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर